नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2018 / 00036

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25 / 2018 / 2012 (अपील)

उनवान

1.नरेश पुत्र कैलाश जाति गूर्जर
2. धर्मेश पुत्र कैलाश जाति गूर्जर
3. मुकेश पुत्र कैलाश जाति गूर्जर
4. जीतेश पुत्र कैलाश जाति गूर्जर
5. सीमा पुत्री कैलाश जाति गूर्जर
6. ललिता पुत्री कैलाश जाति गूर्जर
7 जगन्नाथ पुत्र गंगाबिशन जाति गूर्जर
8. श्याम सिंह पुत्र स्व0 सुर्जन उर्फ धोडया उर्फ धोलिया निवासीगण ग्राम रायपुरा, तहसील श्योपुर जिला श्योपुर– मध्य प्रदेश

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जर्ये नायब तहसीलदार खातोली, तहसील पीपल्दा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री कन्हैयालाल सोनी (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 22.05.2017
नायब तहसीलदार खातोली, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 24.07.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खातोली के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 22.05.2017 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश नामान्तरकरण जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई।

3. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अपीलार्थी के पूर्वज की पुश्तेनी आराजी खसरा नम्बर 471, 497, 540, 474, 471 / 789 वाके ग्राम छापोल तहसील पीपल्दा में स्थित है। बृजलाल उर्फ बिशना के तीन पुत्र धोडया उर्फ सुरजन उर्फ लोलया, गंगाबिशन और फूल्या थे, दिनांक 19.10.1998 को सूरजन उर्फ धोडिया उर्फ धोलिया पुत्र बृजलाल उर्फ बिशना की मृत्यु हो गयी। जिसमें सूरजन उर्फ धोलया उर्फ धोडया के पुत्र कैलाश व श्याम सिंह थे, कैलाश की मृत्यु दिनांक 23.08.2002 को हो गई। गंगाबिशन के एक पुत्र जगन्नाथ है, एंव फूल्या ला–औलाद थे, जिन्होंने एक पुत्र रामपाल को गोद लिया था। जिनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी के वारिसानों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खातोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 9.9.2016 को इन्तकाल खोले जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बिना कोई साक्ष्य लिऐ ही प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.5.2017 को खारिज कर दिया,

जिससे असन्तुष्ट होकर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। सक्षम अधिकारी तहसीलदार जिला शोपुर द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र जो कि सही एंव सत्य है, प्रस्तुत करने के उपरान्त भी नायब तहसीलदार द्वारा प्रार्थी का इन्तकाल खोले जाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मृतक सुरजन उर्फ धोडिया उर्फ धोलिया का मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित करवा कर पुनः जारी करवा लिया गया है, जो सही एंव सत्य है, उसके उपरान्त भी अपीलाण्ट द्वारा इन्तकाल खुलवाने का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटैशन एक्ट के अनुसार अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.05.2017 अपास्त कर अपीलाण्ट का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील बहस में बृजलाल उर्फ बिशना के तीन पुत्र धोडया उर्फ सुरजन उर्फ लोलया, गंगाबिशन और फूल्या होना, दिनांक 19.10.1998 को सूरजन उर्फ धोडिया उर्फ धोलिया पुत्र बृजलाल उर्फ बिशना की मृत्यु हो जाना कथन किया है। जिसमें सूरजन उर्फ धोलया उर्फ धोडया के पुत्र कैलाश व श्याम सिंह होना बताया, तथा कैलाश की मृत्यु दिनांक 23.08.2002 को हो जाने बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एंव सुरजन उर्फ धोलिया की मृत्यु दिनांक 19.10.1998 को हो जाने बाबत दिनांक 15.12.2009 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति तथा कथित तहसीलदार तहसील श्योपुर के पत्र दिनांक 30.09.2016 जो नायब तहसीलदार खातोली के नाम लिखित पत्र है, (मूल ही) असल अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किऐ गये हे। चूंकि अपीलाण्ट ने सूरजन उर्फ धोल्या की मृत्यु दिनांक 19.10.1998 को हो जाना अपनी अपील बहस में बताया है। जबकि राजस्व रेकार्ड जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 401 में धोलिया दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा मृतक के वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही बताई गई मृत्यु दिनांक 19.10.1998 से काफी विलम्ब से की गई है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार एंव जमाबन्दी के नाम में अन्तर होना, वारिसान प्रमारण पत्र सक्षम अधिकारी का नहीं होने व वारिसान की पुष्टि में अभाव में निरस्त किया गया है। यद्यपि अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय पत्रावली में मृतक सुरजन उर्फ धोलिया की दिनांक 19.10.1998 को मृत्यु होने बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो भी दिनांक 15.12.2009 को जारी शुदा है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश दिनांक 22.5.2017 का है, तथा तहसीलदार श्योपुर द्वारा नायब तहसीलदार खातोली के नाम जारी कथित पत्र दिनांक 30.09.2016 भी फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया है, जबकि यह असल पत्र नायब तहसीलदार खातोली को सम्बोधित है, जिसका अपीलाण्ट के पास होना आपत्तिजनक है। अपीलाण्ट द्वारा खातेदार धोलिया कथित सुरजन उर्फ धोलिया की मृत्यु दिनांक 19.10.1998 पश्चात वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन बाबत कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से की है, खातेदार धोलिया अपीलाण्ट के अनुसार सुरजन उर्फ धोलिया की मृत्यु दिनांक 19.10.1998 को हो जाना तथा उसके पुत्र कैलाश की मृत्यु भी दिनांक 23.08.2002 को होने बाद अपीलाण्ट की ओर से उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करने सम्बन्धी कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, विवादित तथ्यों के सम्बन्ध में अपने अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा